# सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
# Member of Parliament Local Area Development Scheme

डी. साई बाबा
निदेशक
**D. Sai Baba**
Director
TEL : 23344933
FAX : 23364197

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
E-MAIL : mplads@nic.in

फा.सं.सी-42/7/2013-एमपीलैड्स

Dated 11 जुलाई, 2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

**विषयः एमपीलैड्स के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीद ।**

महोदय,

दिनांक 15 मई, 2014 की स्थिति के अनुसार एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के अनुबंध-II-क के उप पैरा 6.1 का निम्नलिखित भाग अनजाने में छूट गया था:

"जब कभी कोई संसद सदस्य किसी सरकारी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थान के निर्माण संबंधी पूंजीगत कार्यों के लिए किसी नए प्रस्ताव की सिफारिश करता है तो वह चल मदों (जैसे फर्नीचर, उपस्कर न कि उपभोग वस्तुओं) की खरीद की सिफारिश करेगा । यह प्रस्ताव आवश्यक रूप से चल मदों (जैसे फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि) से संबंधित पूंजीगत कार्यों तथा संबद्ध व्यय के लिए होना चाहिए और यह कुल लागत के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए ।"

2. दिनांक 15 मई, 2014 के एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में अनुबंध- II-क का सही और पूर्ण 6.1 उप पैरा निम्नानुसार है:

"जब कभी कोई संसद सदस्य किसी सरकारी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थान के निर्माण संबंधी पूंजीगत कार्यों के लिए किसी नए प्रस्ताव की सिफारिश करता है तो वह चल मदों (जैसे फर्नीचर, उपस्कर न कि उपभोग वस्तुओं) की खरीद की सिफारिश करेगा । यह प्रस्ताव आवश्यक रूप से चल मदों (जैसे फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि) से संबंधित पूंजीगत कार्यों तथा संबद्ध व्यय के लिए होना चाहिए और यह कुल लागत के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए ।"

केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा स्थानीय निकायों से संबंधित प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा वर्तमान सरकारी अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सचल मदें जैसे फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि की खरीद के लिए सिफारिशें नहीं की जा सकती ।

एमपीलैड्स निधियों से एक संसद सदस्य द्वारा केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा स्थानीय निकायों से संबंधित प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक वर्ष में 50 लाख रु. तक के फर्नीचर की खरीद के लिए सिफारिश की जा सकती है । कोई स्कूल विशेष अपने जीवन काल में अधिकतम 10 लाख रु. तक की खरीद का पात्र होगा ।

एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रदत्त फर्नीचर पर स्कूल का नाम, खरीद का वर्ष तथा क्रम सं. अंकित होना अनिवार्य होगा । यह खरीद राज्य सरकार द्वारा लाग नियमों तथा प्रक्रियाओं के अधीन होगी । राज्य शिक्षा विभाग का संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी फर्नीचर की मात्रा, गुणवत्ता तथा लागत के औचित्य को प्रमाणित करेगा तथा जिला प्राधिकारी को अपना प्रमाणीकरण उपलब्ध कराएगा ।

इस प्रकार प्राप्त किए गए फर्नीचर की प्रविष्टि स्कूल के स्टॉक रजिस्टर में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी । फर्नीचर की देखभाल करना संबंधित स्कूल का उत्तरदायित्व होगा ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साईबाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।